न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–191 / 2024 दायर दिनांक 25.10.2024

जीसीएमएस आई0डी0:–2024 / 466

1. बाबू पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी खीपकापुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
2. रामपति पत्नि बाबू जाति जाट निवासी खीपकापुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0।

---सायलान---02

बनाम

1. गैनसिंह पुत्र रामस्वरूप आयु 65 साल
2. वीरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप आयु 35 साल
3. वीरसिंह उर्फ वीरीसिंह पुत्र रामस्वरूप आयु 40 साल

} जाति जाट नि0 खीपकापुरा सूरौठ जिला करौली

------गैरसायलान–03

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री एस एल चौधरी वकील वादी

2. श्री राधेश्याम शर्मा वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः– 20-1-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजीयात खाता संख्या नया 271 में दर्ज आराजीयात खसरा न0 1231 रकबा 10 ऐयर, 1232 रकबा 13 ऐयर, 1267 रकबा 8 ऐयर, 969 रकबा 5 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 36 ऐयर वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील सूरौठ में स्थित है, जिसमें सायल स0 1 का 3 / 5 हिस्सा है, अन्य हिस्सा गैरसायालान का है जो कि मुताबिक हिस्सा रेवेन्यु रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप में अंकित है।

आराजीयात खाता संख्या 268 में दर्ज खसरा न0 1930 रकबा 24 ऐयर, 333 रकबा 25 ऐयर, 334 रकबा 15 ऐयर, 345 रकबा 25 ऐयर, [illegible] रकबा 43 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.32 है0 स्थित गांव खीपकापुरा तहसील सूरौठ में स्थित है, जिसमें सायल स0 1 बाबू का 1 / 2 हिस्सा व सायल स0 2 रामपति का 1 / 5 वा हिस्सा है, शेष हिस्सा गैरसायलान न01 ता 3 का है जो मुताबिक हिस्सा उनके नाम के आगे स्पष्ट रूप से दर्ज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:36:19 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात खसरा न0 1929 रकबा 25 ऐयर, 1931 रकबा 24 ऐयर कुल किता 2 कुल रकबा 49 ऐयर स्थित गांव खीपकापुरा तहसील सूरोठ जिला करोली में स्थित है जिसमें सायल स0 1 बाबू का 3/5 हिस्सा है, बाकी हिस्सा गैरसायल के नाम हैजो मुताबिक हिस्सा उनके नाम के आगे स्पष्ट रूप से दर्ज है।

उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 ता 4 का पूर्व में ही पक्षकारान के मध्य बाहमी रूप से आपस में बंटवारा जुवानी तौर पर हो चुका है, और पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर बटनी के आधार पर काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन मौके पर गैरसायलान के हिस्से में अधिक जमीन है, यानि सायलान के हिस्से की जमीन गैरसायलान की भूमि में दबी हुयी है।

घटना दिनांक 18.10.2024 को समय सुबह करीब 8 बजे की है कि सायलान अपने हिस्से की जमीन को बोने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में गैरसायलान अपने हाथों में लाठी डण्डा ले लेकर मौके पर आ गये व कहने लगे कि अब उक्त खेतों पर तुम्हारे हिस्से की भूमि पर पक्का निर्माण दीवाल बनाकर दुसरे लठैत व्यक्तियों को बेचान करके रहेंगे तथा मौके पपर खण्डा बजरी निर्माण सामग्री को एकतित्र कर लिया है और जबरन पक्की दीवाल बनाकर पक्का निर्माण करने पर आमदा है। सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाया कि भाईयों आप लोग हमको परेशान मत करो और आपस में विधिवत बंटवारा कर वालों तहसील चलो, लेकिन गैरसायलान नहीं माने और हठधर्मीपर आमदा है, तथा अज खुद मानने को तैयार नहीं है। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकतों में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायलान को उनकी आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 लगायत 4 प्रार्थना पत्र खसरा न0 1231, 1232, 1267, 969 कुल किता 4 कुल रकबा 35 ऐयर वाके ग्राम खीपकापुरा में सायल स01 के 3/5 हिस्से खसरा न0 1930, 333, 334, 345, 348 कुल किता 5 कुल रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम खीपकापुरा में सायल स0 1 के 1/2 हिस्से व सायल स0 2 के 1/5 हिस्से तथा खसरा न0 1929, 1931 रकबा 49 ऐयर वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील सूरोठ में सायल स0 के 3/5 हिस्से की भूमि को सायलान को शांति पूर्वक उपयोग काश्त करने देवे। कोई दखलन्दाजी नहीं देवे। सायलान की भूमि मे कोई पक्का निर्माण नहीं बनाये, बिना डोल मेढ को नहीं तोडे। सायलान की भूमि मे कोई पक्का निर्माण नहीं बनाये, बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:36:19 IST
Reason: SelfAttested

विधिवत बंटवारा के रहनव्यय नहीं करे मौके पर कोई निर्माण सामग्री नहीं डाले। तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायल को कोई क्षति पहुंचती हो।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 3 की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा वकालतनामा पेश किया एवं आदेशिका दिनांक 29.11.2024 से जबाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थनापत्र का मद नं. 1 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है।
2. प्रार्थनापत्र का मद नं. 2 स्वीकार है।
3. प्रार्थनापत्र का मद नं. 3 स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र का मद नं 4 जिस प्रकार तहरीर है. स्वीकार है।
5. प्रार्थनापत्र का मद नं. 5 में मौके पर गैरसायल सं. 1 लगायत 3 के हिस्से में अधिक जमीन होने वाली बात के अलावा अन्य कथन अस्वीकार है। सायलान व गैरसायलान ने मौके पर मुताबिक बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा सायलान ही गैरसायलान को उनके हिस्से की भूमि को काश्त करने में बाधा मजाहमत पैदा कर रहे हैं।
6. प्रार्थनापत्र का मद नं. 6 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। गैरसायल सं. 1 लगायत 3 ने कभी कोई डोल–मेढ नहीं तोडी और ना ही कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने की धमकी दी और ना ही गैरसायलान ने कोई बाधा मजाहमत पैदा की। उक्त मद में सारी बातें मनगढंत लिखी गई हैं।
7. प्रार्थनापत्र का मद नं. 7 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है अस्वीकार है।
8. प्रार्थनापत्र का मद नं. 8 जिस प्रकार तहरीर है. गलत है, अस्वीकार है। दिनांक 18.10.2024 को सुबह समय करीब 8 बजे गैरसायलान हाथों में लाठी–डण्डे लेकर मौके पर नहीं आये और ना ही भूमि पर पक्का निर्माण कर दीवाल बनाकर दूसरे लठैत व्यक्तियों को बेचने की धमकी दी और ना ही मौके पर खण्डा, बजरी, सीमेन्ट सामग्री एकत्रित की। उक्त मद में सारी बातें बनावटी व काल्पनिक दर्ज की गई हैं।
9. प्रार्थनापत्र का मद नं. 9 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान विरुद्ध गैरसायलान मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:36:19 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2070—73 खाता संख्या 271, जमाबंदी 2070—73 खाता संख्या 268, जमाबंदी 2070—73 खाता संख्या 272 वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील सूरौठ पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि उक्त विवादित आराजी खातेदारी भूमि खसरा न0 1231, 1232, 1267, 969 कुल किता 4 कुल रकबा 35 ऐयर वाके ग्राम खीपकापुरा में सायल स01 के 3/5 हिस्से खसरा न0 1930, 333, 334, 345, 348 कुल किता 5 कुल रकबा 1.32 है0 वाके ग्राम खीपकापुरा में सायल स0 1 के 1/2 हिस्से व सायल स0 2 के 1/5 हिस्से तथा खसरा न0 1929, 1931 रकबा 49 ऐयर वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील सूरौठ में सायल स0 के 3/5 हिस्से की भूमि को सायलान को शांति पूर्वक उपयोग काश्त करने देवे। कोई दखलन्दाजी नहीं देवे। सायलान की डौल मेढ को नहीं तोड़े सायलान की भूमि मे कोई पक्का निर्माण नहीं बनाये, बिना विधिवत बंटवारा के क्रय विक्रय नहीं करे मौके पर कोई निर्माण सामग्री नहीं डाले। तथा गैरसायलान स्वयं कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायलान को कोई क्षति पहुंचती हो मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया। गैरसायलान ने अपने बहस कथन में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नकल जमाबंदी 2070—73 खाता संख्या 271, जमाबंदी 2070—73 खाता संख्या 268, जमाबंदी 2070—73 खाता संख्या 272 वाके ग्राम खीपकापुरा तहसील सूरौठ का सायलान एवं गैरसायल खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे।ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:36:19 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है।इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खसरा न0 1231, 1232, 1267, 967, 1930, 333, 334, 345, 348 में दिनांक 25.[illegible].2024 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसला [illegible] बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल [illegible] है।

निर्णय आज दिनांक [illegible]25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:36:19 IST
Reason: SelfAttested